मैसर्स बन्नेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 269/2015)

10 फरवरी, 2015

[कुरियन जोसेफ और एन.वी.रमन्ना, जे.जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: धारा 25 यू/डब्ल्यू धारा 29- श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के तहत गठित वेतन बोर्ड की सिफारिश का कार्यान्वयन न होना- आई.डी. अधिनियम की धारा 25 यू के तहत अभियोजन की रखरखाव-आयोजितः वेतन बोर्ड की सिफारिशें आई.डी. अधिनियम के तहत प्रावधानों के संदर्भ में न तो कोई पुरस्कार है और न ही कोई समझौता है। यह श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है। न तो यह (आई.डी. एक्ट की धारा 10ए अधिनियम) के संदर्भ में मध्यस्था अवार्ड है और न ही यह (आई.डी. एक्ट की धारा 2(बी) अधिनियम) के संदर्भ में समझौता है। यह पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं है। इसकी प्रवर्तनीयता, एक सिफारिश होने के नाते, केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश पर निर्भर करती है। आई.डी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन इस प्रकार चलने योग्य नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई अवार्ड, सेटलमेंट या समझौता नहीं है जिसका उल्लंघन किया गया है। ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की स्थिति) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 धारा-3 न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार करते हुए और अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।

आयोजित आई.डी. की धारा 2(बी) अधिनियम' '

प्रावधान से पता चलता है कि किसी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी प्रश्न का निर्धारण किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। यह धारा 10ए के तहत मध्यस्थता पुरस्कार भी हो सकता है। वेतन पर विवाद होने के कारण, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि संदर्भाधीन मुद्दा एक औद्योगिक विवाद है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 13सी के साथ पठित धारा 9 के तहत गठित वेतन बोर्ड ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 10 के संदर्भ में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। उनकी सिफारिश की धारा 1 का शीर्षक मनीसाना (वेतन बोर्ड) पुरस्कार है। वेज बोर्ड के अनुसार भले ही इसे पुरस्कार का नाम दिया गया हो, लेकिन ये केवल सिफारिशें हैं। ऐसा केवल वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में ही हो सकता है। इस प्रकार, कानूनी भाषा में, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 10 के तहत की गयी वेज बोर्ड की सिफारिशें आईडी की धारा 2(बी) के तहत एक पुरस्कार नहीं है। कार्यवाही करना। एक बार धारा 10 के तहत सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद, यह केंद्र सरकार पर है कि वह उचित आदेश जारी करे ताकि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में इसे लागू किया जाता है, तो कर्मचारी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17 का सहारा ले सकते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 11(1) वेज बोर्ड द्वारा अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में अपनी सिफारिशें करने की प्रक्रिया में ट्रिब्यूनल की शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है। यह प्रावधान वेज बोर्ड को ट्रिब्यूनल नहीं बनाता है। आई.डी. अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण सिफारिशें नहीं करता, यह पुरस्कार पारित करता है, जबकि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के तहत वेतन बोर्ड केवल धारा 10 के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए ही सक्षम है और केंद्र सरकार द्वारा सिफारिशों की अधिसूचना के बाद यदि अधिसूचना के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में यदि कोई

विवाद है, तो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत विवाद उठाया जाता है और उसे बाद श्रम न्यायालय द्वारा एक पुरस्कार पारित किया जाता है। (पैरा 9, 10, 12 से 16, 21)(376-एच, 377-ए-बी, ई-जी, 378-एफ-जी, 380-बी-बीसी, 381-ई, 386-बी-डी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 269/2015

पटना उच्च न्यायालय के विविध फौजदारी केस नम्बर 12876,2014 में दिनांकित 11.08.2010 के निर्णय और आदेश से।

साथ

Crl. A. Nos. 270, 271& 272 of 2015

Conmt. Pet. (C) Nos. 171 & 172 of 2012

अपीलकर्ता के लिए पीपी. राव, भास्कर पी. गुप्ता, के. दत्ता, आशीष वर्मा, राहुल मल्होत्रा, अभय कुमार, मनीष श्रीवास्तव, शाहिद अनवर, दीपक गोयल।

उत्तरदाताओं के लिए सिकुमार, दीपक गोयल, गोपाल सिंह, ऋतुराज चौधरी, रश्मी श्रीवास्तव, आर गोपालकृष्णन।

न्यायालय का निर्णय

कुरियन जोसेफ, जे.

2015 की आपराधिक अपील संख्या 269

(एसएलपी (सीआरएल) संख्या 10134/2010 से उत्पन्न)

1. छुट्टी स्वीकृत।

2. क्या अपीलकर्ता पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, 'आईडी अधिनियम') की पांचवी अनुसूची की धारा 29 के साथ पठित धारा 25 यू और क्रम

संख्या 13 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, इस मामले में विचार के लिए यह सवाल उठ रहा है। आरोप है कि मनीसला वेज, की सिफारिशों को ठीक से लागू नहीं किया गया है, पत्रकारों के एक वर्ग के साथ शत्रुतापूर्ण तरीके से भेदभाव किया गया है और इस प्रकार, यह एक अनुचित श्रम प्रथा है।

3. उप श्रम आयुक्त, पटना ने उपरोक्त आरोपों के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के समक्ष एक शिकायत दायर की, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ आई.डी. अधिनियम की धारा 29 के साथ पठित धारा 25 यू के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गयी।

4. अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि शिकायत सुनवाई योग्य थी और इस प्रकार, यह वर्तमान अपील है।

5. श्री पी.पी. विद्वान वरिष्ठ वकील राव का कहना है कि आई.डी. अधिनियम के प्रावधारनों के तहत अभियोजन चलाया जाना कायम रखने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें कोई पुरस्कार या सेटलमेंट या समझौता नहीं है जिसका उल्लंघन किया गया हो ताकि उन्हें अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके। श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, 'श्रमिक पत्रकार अधिनियम') के तहत वेतन बोर्ड ने केवल धारा 10 के अनुसार और धारा 12 के तहत अपनी ई सिफारिशें दी जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। यदि धारा 12 के तहत अधिसूचित आदेशों को लागू नहीं किया जाता है, तो नियोक्ता से देय धन की वसूली के लिए वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम की धारा 17 के तहत उपाय है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17(2) के तहत, यदि अधिनियम के तहत देय राशि के सबंध में कोई विवाद है, तो यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि

वह प्रश्न को आई.डी. एक्ट के प्रावधानों के तहत गठित सक्षम क्षेत्राधिकार वाले श्रम न्यायालय को संदर्भित करें और यह उस न्यायालय पर निर्भर है कि वह पुरस्कार पारित करें। यदि इस तरह के फैसले का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो धारा 25 यू के तहत मुकदमा चलाने का सवाल ही उठता है, भले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू हो।

6. राज्य और कर्मचारी संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 3 के आधार पर, आई.डी. अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू किया गया है, वेतन बोर्ड की सिफारिशें एक अवार्ड (पुरस्कार) है। इस पुरस्कार को इसकी मूल भावना के साथ लागू नही किया गया है, कर्मचारियो के एक वर्ग के साथ भेदभाव किया गया है और इस प्रकार, अभियोजन चलने योग्य है।

7. विवादास्पद प्रश्न यह है कि आई.डी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने के लिए कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है

वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 3 इस प्रकार हैः-

> ''3. 1957 का अधिनियम 14 कामकाजी पत्रकारों पर लागू होगा। -(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के प्रावधान, जो फिलहाल लागू हैं, उप-मे निर्दिष्ट संशोधन के अधीन होंगे। धारा (2), कामकाजी पत्रकारों पर या उनके संबंध में वैसे ही लागू होती है जैसे वे उस अधिनियम के अर्थ में कामगारों पर या उनके संबंध में लागू होती हैं।"

8. वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 3 की उपधारा (2) धारा 25 एफ के आवेदन में संशोधन का प्रावधान करतीं है; जो वर्तमान मामलें में प्रासंगिक नहीं है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 3 के अनुसार, आई.डी.एक्ट के प्रावधान श्रमजीवी पत्रकारों पर

इस तरह लागू कर दिया गया है मानों वे आई.डी. एक्ट के तहत कामगार हों। इस प्रकार, संदर्भ द्वारा एक विधान होने के नाते, आई.डी. एक्ट के प्रावधान कामकाजी पत्रकारों के संबंध में लागू होते हैं।

9. एक पुरस्कार को आई.डी.एक्ट की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है। जो इस प्रकार हैः-

> ''2 (बी) ''अवार्ड'' का अर्थ किसी औद्योगिक विवाद या किसी का अंतरिम या अंतिम निर्धारण किसी भी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा उससे संबंधित प्रश्न और इसमें धारा 10ए के तहत दिया गया मध्यस्थता पुरस्कार शामिल है;''

10. प्रावधान यह दर्शाएगा कि किसी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी प्रश्न का निर्धारण किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। यह धारा 10ए के तहत मध्यस्थता अवार्ड भी हो सकता है।

11. औद्योगिक विवाद को धारा 2(के) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः-

2(के) ''औद्योगिक विवाद'' का अर्थ नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच, या नियोक्ताओं और कामगारों के बीच, या कामगारों और कामगारों के बीच कोई विवाद या मतभेद है, जो किसी व्यक्ति के रोजगार या गैर-रोजगार की शर्तों या श्रम की शर्तों से जुड़ा है।

12. वेतन पर विवाद होने के कारण, इस बात पर कोई विवाद नही हो सकता कि संदर्भाधीन मुद्दा एक औद्योगिक विवाद है।

13. वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 13 सी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 9 एफ के तहत गठित वेतन बोर्ड ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 10 के संदर्भ में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। उनकी सिफारिश की धारा 1 का शीर्षक मनीसाना (वेतन बोर्ड) अवार्ड है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब केंन्द्र सरकार ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 12 के संदर्भ में 05.12.2010 (अनुलग्न पी1) को अधिसूचना जारी की, तो सिफारिशों को भाग तीन के तहत शामिल किया गया था। जहां तक प्रासंगिक है, हम तीन निकालेंगे, जो इस प्रकार हैः-

''भाग तीन''

अध्याय 1

कार्यरत पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों (नई एजेंसी में समाचार पत्र कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए वेतन बोर्ड की सिफारिश।

खंड 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन सिफारिशों को मनीसाना (वेतन बोर्ड) कहा जा सकता है।

(2) यह अवार्ड कक्षा 3 और उससे उपर के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में अप्रैल, 1998 के पहले दिन और कक्षा IV के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध मे जून, 1999 के पहले दिन से लागू हुआ माना जाएगा और कक्षा V और कक्षा VI से कक्षा IX के समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में अप्रैल, 2000 के पहले दिन।

14. यह देखा जा सकता है कि वेज बोर्ड के अनुसार भले ही इसे अवार्ड का नाम दिया गया हो, लेकिन वे केवल सिफारिशें हैं। ऐसा केवल वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में हो सकता है, जो इस प्रकार हैः-

''10. बोर्ड द्वारा सिफारिश- (1) बोर्ड, जिस तरह से वह उचित समझे, नोटिस प्रकाशित करके समाचार पत्र प्रतिष्ठानों को बुलाएगा और कामकाजी पत्रकारों और श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन की दरों के निर्धारण या संशोधन में रूचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को ऐसे अभ्यावेदन देने होंगे जो वे श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में इस अधिनियम के तहत तय या संशोधित किए जा सकने वाले वेतन की दरों के संबंध में उचित समझें।

(2) ऐसा प्रत्येक अभ्यावेदन लिखित रूप में होगा ओर ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जैसा कि बोर्ड नोटिस में निर्दिष्ट करें और इसमें मजदूरी की दरें बताई जाएंगी, जिन्हें अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति की राय में, ध्यान में रखते हुए उचित होगा। नियोक्ता की समान भुगतान करने की श्रमता या किसी अन्य परिस्थिति में, जो भी उसके प्रतिनिधित्व के संबंध में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के लिए प्रासंगिक लग सकता है।

(3) बोर्ड पूर्वोक्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखेगा और उसके समक्ष रखी गयई सामग्रियों की जांच करने के बाद ऐसी सिफारिशें करेगा जो वह कामकाजी पत्रकारों के संबंध में मजदूरी की दरों के निर्धारण या संशोधन के लिए केंद्र सरकार उचित समझे; और ऐसी कोई भी सिफारिश, चाहे भावी या पूर्वव्यापी रूप से, निर्दिष्ट कर सकती है, वह तारीख जिससे मजदूरी की दरें प्रभावी होनी चाहिए।

(4) केंद्र सरकार को कोई भी सिफारिश करते समय, बोर्ड को जीवन यापन की लागत, तुलनीय रोजगार के लिए मजदूरी की प्रचलित दरें,

देश के विभिन्न क्षेत्रों मे समाचार पत्र उद्योग से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। जो बोर्ड को प्रासंगिक लगें।

स्पष्टीकरण, संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उप-धारा में कुछ भी बोर्ड को अखिल भारतीय आधार पर मजदूरी की दरों के निर्धारण या संशोधन के लिए सिफारिशें करने से नहीं रोकेगा।"

15. इस प्रकार कानूनी भाषा में, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 10 के तहत की गई बेज बोर्ड की सिफारिशें आई.डी.एक्ट की धारा 2 (बी) के तहत एक अवार्ड नहीं है। एक बार धारा 10 के तहत सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, यह केन्द्र सरकार पर है कि वह उचित आदेश जारी करे ताकि इस वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 12 के संदर्भ में लागू किया जा सके, जो इस प्रकार हैः-

"12. वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंन्द्र सरकार की शक्तियां।

(1) बोर्ड की सिफारिशें की प्राप्ति के बाद, जितनी जल्दी हो सके, केन्द्र सरकार सिफारिशों के संदर्भ में ऐसे संशोधन, यदि कोई हों, जैसा वह उचित समझे, वे संशोधन जो, केन्द्र सरकार की राय में, सिफारिशों के चरित्र में महत्वणूर्ण परिवर्तन नहीं करते, केन्द्र सरकार आदेश जारी करेगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्र सरकार, यदि उचित समझे-

(ए) सिफारिशों में ऐसे संशोधन करें, जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के संशोधन न हो, जैसा वह उचित समझे, बशर्ते कि ऐसा कोई

भी संशोधन करने से पहले, केन्द्र सरकार इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को निर्धारित तरीके से कारण बताओं नोटिस दिया जाएगा, और वे इस संबंध में लिखित रूप में जो भी अभ्यावेदन देंगे, से ध्यान में रखा जाएगा; या

(बी) सिफारिशों या उसके किसी भी हिस्से को बोर्ड को संदर्भित करने की दशा में, केन्द्र सरकार उसकी आगे की सिफारिशों पर विचार करेगी और या तो सिफारिशों के संदभ्र में या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के ऐसे संशोधनों के साथ एक आदेश देगी जैसा वह उचित समझे।

(3) इस धारा के तहत केन्द्र सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, आदेश से संबंधित बोर्ड की सिफारिशों के साथ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और आदेश प्रकाशन की तारीख या ऐसी तारीख पर लागू होगा, चाहे वह भावी हो या पूर्वव्यापी रूप से, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया है।''

16. यदि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 17 का सहारा ले सकते हैं, जो इस प्रकार हैः-

''17. किसी नियोक्ता से देय धन की वसूली-

(1) जहां इस अधिनियम के तहत किसी नियोक्ता से समाचार पत्र कर्मचारा की कोई राशि देय है, वहां स्वयं समाचार पत्र कर्मचारी, या उसके द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत कोई व्यक्ति या कर्मचारी की मृत्यु के मामलें में, उसके परिवार का कोई भी सदस्य, वसूली के किसी भी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे देय राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार को एक आवेदन कर

सकता है और यदि राज्य सरकार या ऐसा प्राधिकारी जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करें, संतुष्ट है कि कोई भी राशि बकाया है, तो वह उस राशि के लिए कलेक्टर को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, और कलेक्टर उस राशि को भू-राजस्व के बकाया के समान ही वसूल करने के लिए आगे बढेगा।

(2) यदि इस अधिनियम के तहत किसी समाचार पत्र कर्मचारी को उसके नियोक्ता से देय राशि के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो राज्य सरकार, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या उसके लिए आवेदन करने पर, इस प्रश्न को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), या राज्य में लागू औद्योगिक विवादों की जांच ओर निपटान से संबंधित किसी भी संबंधित कानून के तहत उसके द्वारा गठित किसी भी श्रम न्यायालय को भेज सकती है और उक्त अधिनियम या कानून श्रम न्यायालय के संबंध में प्रभावी होगा जैसे कि प्रश्न संदर्भित मामला उस अधिनियम या कानून के तहत निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को भेजा गया था।

(3) श्रम न्यायालय का निर्णय उसके द्वारा उस राज्य सरकार को भेजा जाएगा जिसने संदर्भ दिया था और श्रम न्यायालय द्वारा देय कोई भी राशि उपधारा (1) में दिए गये तरीके से वसूल की जा सकती है।"

17. वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 18 के तहत दंड का भी प्रावधान है, जो इस प्रकार हैः-

18. जुर्मानाः- (1) यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो सौ रूपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(1ए) जो भी इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उसे समान प्रावधान के उल्लंधन से जुड़े अपराध के लिए उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो पांच सौ रूपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(1बी) जहां किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय, संपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति जिम्मेदार था, साथ ही कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा, बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस धारा में प्रदान की गई किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित प्रयास किए थे।

(1सी) उपधारा (1बी) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि अपराध उसकी सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या अपराध किया गया है यदि कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से कोई घोर लापरवाही की जाती है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी ऐसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जायेगा।

(1डी) इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(ए) ''कंपनी'' का अर्थ है कोई भी कॉर्पोरेट निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

(बी) किसी फर्म के संबंध में ''निदेशक'' का अर्थ फर्म के भागीदार से है।

(3) कोई भी अदालत इस धारा के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, जब तक कि उसकी शिकायत उस तारीख से छह महिने के भीतर न की जाए जिस दिन अपराध होने का आरोप लगाया गया है।

18. वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की योजना को ध्यान में रखते हुए और आई.डी.एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए; जैसा कि जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 3 में शामिल है, अनुचित श्रम व्यवहार के लिए मुकदमा केवल धारा 25 यू के तहत ही चलने योग्य है। धारा 25 यू अनुचित श्रम व्यवहार करने के लिए दंड का प्रावधान करती है और धारा 29 निपटान या अवार्ड के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। आई.डी.एक्ट की धारा 2 (आर ए) अनुचित श्रम व्यवहार को परिभाषित करता है। धारा 2 (पी) के तहत निपटान को सुलह कार्यवाही के दौरान किए गए समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें सुलह कार्यवाही के दौरान नियोक्ता और श्रमिकों के बीच एक लिखित समझौता शामिल है। इस प्रकार वेतन बोर्ड की सिफारिशें आर्ड.डी.एक्ट के तहत प्रावधान के संदर्भ में न तो कोई अवार्ड है और न ही कोई समझौता है। यह श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकारण द्वारा पारित नहीं किया गया है और यह आई.डी.एक्ट की धारा 10ए के संदर्भ में मध्यस्थता अवार्ड नहीं है। यह आई.डी.एक्ट की धारा 2 (बी) के संदर्भ में कोई समझौता नहीं है। यह पार्टियों के बीच कोई समझौता नही है।

सिफारिश होने के नाते, इसकी प्रवर्तनीयता केन्द्र सरकार द्वारा पारित आदेश पर निर्भर करती है। केन्द्र सरकार ने एनेक्सचर पी1 अधिसूचना जारी कर वहा आदेश

पारित कर दिया है। यदि इसका अनुपालन नही किया जाता है, जैसा कि हम पहले ही उपर बता चुके है, तो वसूली के लिए धारा 17 के तहत या दंड के लिए धारा 18 के तहत उपाया निहित हैं, न कि आई.डी.एक्ट के प्रावधानों बी के तहत।

19. सुनवाई के दौरान, हमें सूचित किया गया कि कर्मचारी संघ ने पहले ही केंद्र सरकार द्वारा धारा 12 के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में देय राशि के संबंध में वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत उपाय का सहारा ले लिया है और यह श्रम न्यायालय, पटना (केस संदर्भ संख्या 7/2013) के समक्ष लंबित है। यदि श्रम न्यायालय उचित निर्णय पारित करता है और यदि उसे लागू नहीं किया जाता है तो अकेले ही आई.डी.एक्ट की पांचवीं अनुसूची के क्रमांक 13 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 25 यू के तहत मुकदमा चलाने का सवाल उठता है।

''अवार्ड, निपटान या समझौते को लागू करने में विफलता।''

20. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 11 के संदर्भ में, वेज बोर्ड आई.डी.एक्ट के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण की सभी शक्तियों का प्रासंगिक सीमा तक प्रयोग कर सकता है।

11. बोर्ड की शक्तियां और प्रक्रिया- (1) उप-धारा(2) में निहित प्रावधानों के अधीन, बोर्ड उन सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत गठित किए गए एक औद्योगिक विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए करता है और, इस अधिनियम में निहित प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों, यदि कोई हो, के अधीन, अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति रखता है।

21. प्रावधानों को मात्र पढ़ने से पता लगाता है कि यह वेज बोर्ड द्वारा अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में अपनी सिफारिशें करने की प्रक्रिया में ट्रिव्यूनल नहीं

बनाता। आई.डी.एक्ट के तहत न्यायाधिकरण सिफारिशें नहीं करता, अवार्ड पारित करता है; जबकि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत वेज बोर्ड केवल धारा 10 के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए सक्षम है और केन्द्र सरकार द्वारा सिफारिशें की अधिसूचना के बाद अधिसूचना के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में कोई विवाद होता है, तो विवाद उठाया जाता है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 17 (2) के तहत और उसके बाद श्रम न्यायालय द्वारा अवार्ड पारित किया जाता है।

22. इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

23. श्रम न्यायालय, पटना को उसके समक्ष लंबित केस रेफरेंस संख्या 7/2013 का शीघ्र निपटारा करने का भी निर्देश दिया जायेगा।

24. हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश कर्मचारी संघ को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम या आई.डी.एक्ट के अन्य प्रावधानों के तहत उपलब्ध अन्य उपायों, यदि कोई हो, का सहारा लेने के रास्ते में कोई बाधा नहीं खड़ा करेगा।

2015 की आपराधिक अपील संख्या 270

(एसएलपी(सीआरएल) संख्या 1884/2011 से उत्पन्न)

आपराधिक अपील संख्या 271/2015

(एसएलपी(सीआरएल) संख्या 1956/2011 से उत्पन्न),

आपराधिक अपील संख्या 272/2015

(एसएलपी(सीआरएल) संख्या 1957/2011 से उत्पन्न),

25. छुट्टी स्वीकृत।

26. एसएलपी (सीआरएल संख्या 10134/2010 से उत्पन्न) आपराधिक अपील संख्या 269/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2015 के मद्देनजर, आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया गया है और परिवाद और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

CONMT.PET. (सी) क्रमांक 171/2012 एसएलपी (सीआरएल) क्रमांक 1957/2011

CONMT.PET. (सी) क्रमांक 172/2012 एसएलपी (सीआरएल) क्रमांक 1884/2011

27. एसएलपी (सीआरएल संख्या 10134/2010 से उत्पन्न) आपराधिक अपील संख्या 269/2015 में पारित दिनांक 10.02.2015 के फैसलें के मद्देनजर, इन अवमानना याचिकाओं में कुछ भी नहीं बचा है जो तदनुसार खारिज कर दिए गए हैं।

देविका गुजराल अपील स्वीकृत और

अवमानना याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भंवर सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।